मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–15/2014/1–3 भोपाल, दिनांक 24.01.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(computer proficiency certification test- cpct)** आयोजित होने की समयावधि में संशोधन ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015.

संदर्भित परिपत्र क्रमांक–सी–3–15/2014/1–3, दिनांक–26 फरवरी 2015 व्दारा 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है । राज्य शासन व्दारा उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अब कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (**computer proficiency certification test - cpct**) में इंगलिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट निर्धारित की जाती है ।

3– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0 बी0 पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक / 2127 / 2145 / 2017 / 10-1 भोपाल, दिनांक 17 / 10 / 2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन-।।)
मध्य प्रदेश भोपाल।

विषय :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2016 के विरूद्ध समुचित एवं न्यायोचित कार्यवाही का निर्देश देने बावत अपील अभ्यावेदन।

संदर्भ:- आपकी टीप क्र. 65, दिनांक 28.06.2017.

---00---

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन करें।

प्रकरण में श्री महेन्द्र राय वनरक्षक, लघुवनोपज संघ मुख्यालय भोपाल, श्री अशोक पाण्डेय वनरक्षक, श्री सुबोध कुमार त्यागी वनरक्षक सामान्य वनमण्डल, भोपाल एवं श्रीमती डारथी मायकल वनरक्षक, सामान्य वनमण्डल रायसेन की बढ़ती उम्र एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों के प्रकाश में विभाग के पत्र दिनांक 23.04.2011 से पैदल चाल कराये जाने के निर्देश पर शासन द्वारा पैदल चाल में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

17/10/17
(केशव सिंह)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / पदेन सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

597
24/10/17